न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :–61/2019
निर्णय दिनांक : 20.12.2021

उनवान

1. रोहित गुप्ता पुत्र श्री आर.बी. गुप्ता जाति महाजन निवासी 85 खण्डेलवाल टॉवर विघाघर नगर जिला जयपुर।

———प्रार्थी

बनाम

1. श्री शरद जैन पुत्र श्री महेश प्रकाश जैन निवासी द्वारकापुरी जमानालाल बजाज मार्ग तहसील व जिला जयपुर।
2. श्रीमति कल्पना जैन धर्मपत्नी श्री मनोज जैन निवासी द्वारकापुरी, जमानालाल बजाज मार्ग तहसील व जिला जयपुर।
3. पल्लवी सोनी धर्मपत्नी श्री सुदीप सोनी निवासी ई–78 भगवतसिंह मार्ग सी–स्कीम तहसील व जिला जयपुर।
4. रिद्धि सिद्धि कार्पोरेशन जरिये अधिकृत प्रतिनिधि कार्यालय 504 ओम जी टॉवर प्लाट न. 7–8 लालकोठी स्कीम सहकार मार्ग तहसील व जिला जयपुर।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

———अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विद्यमान मार्ग का विस्तार एवं स्थायीकरण

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर प्रार्थी की स्वतन्त्र खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 0.18 हैक्टेयर है जिसे नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है इसके उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 0.10 हैक्टेयर स्थित है जिसे नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया जो आपस में सींवाजोड है, प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 51 में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 35 पर मौजूद एंव चालू कच्चे रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध नहीं है, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी में अंकित भूमि खसरा नम्बर 35 में होकर एक कच्चा रास्ता उत्तर–दक्षिण बना हुआ है जिसे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा आवागमन हेतु उपयोग–उपभोग में लिया जा रहा जिसे संलग्न नजरी नक्शे में केसरिया रंग से दर्शाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 35 से लगती हुई रिंग रोड जयपुर से आगरा पूर्व से पश्चिम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:51:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ओर स्थित है जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा बदनियतिपूर्वक खसरा नम्बर 35 में स्थित कच्चा रास्ता जिसे संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी मार्क तथा केसरिया रंग से दर्शाया गया है को बंद करने के इरादे से उक्त रास्ते में पत्थर एवं झाडिया डालकर रास्ता अवरुद्ध कर देते है जिसकी वजह से प्रार्थी का अपनी खातेदारी की भूमि पर आने–जाने में अनावश्यक परेशानी उत्पन्न होती है तथा अप्रार्थीगण उक्त रास्ते जिसे संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी मार्क दर्शाया गया है पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर रास्ते को बदं करने की धमकियॉ देते रहते है, प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को नजरी नक्शें में केसरिया रंग से दर्शित ए से बी मार्क स्थान को 30 फीट चौड़ा रास्ता के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा तथा उसे उक्त भूमि की कीमत प्रचलित बाजर दर (डी एल सी रेट) के अनुसार अदा कर क्षतिपूर्ती करने का अनुरोध एव प्रस्ताव दिया लेकिन अप्रार्थी संख्या एक लगायत चार ने प्रार्थी के उक्त प्रस्ताव का ठुकरा दिया तथा साफ इन्कार करते हुए धमकी दी कि वे अपनी भूमि में से एक इंच भी भूमि पर रास्ता नहीं बनने देंगे तथा मौजूदा कच्चे रास्ते को पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर हमेशा के लिये बंद कर देंगे, प्रार्थी का उक्त रास्ते की अपनी आत्यन्तिक आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु अत्यन्त आवश्यकता है इसलिए प्रार्थी खसरा नम्बर 35 में से उत्तर–दक्षिण 30 फीट चौडे रास्ते के रूप में कायम करवाने का अधिकारी है जिसके लिए वे अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को उसकी भूमि की कीमत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के अनुसार अदा करने के लिए तैयार एवं तत्पर हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अप्रार्थी संख्या 5 पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 5 मौका रिर्पोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा इस आशय की मौका रिपोर्ट पेश कि वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 221 खसरा नम्बर 51 ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का लाखना की खातेदारी रोहित गुप्ता पुत्र आर.डी. गुप्ता हिस्सा पूर्ण जाति महाजन सा. 8–5 खण्डेलवाल टॉवर, विद्याधर नगर जयपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन नही है। खसरा नम्बर 35 खाता संख्या 214 ग्राम श्रीरामपुरा, पटवार हल्का लाखना की खातेदारी कल्पना जैन पत्नी मनोज जैन हिस्सा 3/16 जाति जैन प्लॉट नम्बर 19 द्वारिकापुरी जमनालाल बजाज मार्ग जयपुर खातेदार व पल्लवी सोनी पत्नी सुदीप सोनी हिस्सा 3/8 जाति जैन निवासी प्लॉट नम्बर ई–78 भगवत सिंह, सी–स्कीम, जयपुर खातेदारी, शरद जैन पुत्र महेश प्रकाश जैन हिस्सा 3/16 जाति जैन निवासी प्लॉट नम्बर 19, द्वारिकापुरी जमनालाल बजाज मार्ग जयपुर खातेदार व मनमोहन गुप्ता पुत्र घनश्याम गुप्ता हिस्सा 1/4 जाति महाजन निवासी बी–216 वर्धमान नगर बी, राम मन्दिर के पास, अजमेर रोड, जयपुर के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है उक्त रिकॉर्ड पर किसी प्रकार [illegible] न्यायालय से स्थगन नही है। खसरा नम्बर 51 में वर्तमान में कोई भी रास्ता आने जाने के लिए उपलब्ध नही है। खसरा नम्बर 51 में नियमा[illegible] नम्बर 35 में दिया जाना प्रस्तावित होगा। क्योंकि [illegible] जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के खसरा नम्बर 35/1 से लगता हुआ है [illegible] रिंग रोड सुचारू रूप से चालू है। खसरा नम्बर 35 व 51 की भूमि मौके पर खाली है किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नही है। खसरा नम्बर 35 मे तारबन्दी हो रखी है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:51:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार की बहस सूनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर आने–जाने के लिए कोई रास्ता विद्यमान नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वे खसरा नम्बर 35 रकबा 0.10 हैक्टेयर में से 30 चौडा एवं लगभग 50 फीट लम्बा रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करे, रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार डीमाण्ड ड्राफ्ट पृथक–पृथक प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को अदा करें एवं प्रार्थी की भूमि में आने जाने का रास्ता कायम कर रास्ता सुचारू करवाया जावें।

निर्णय की प्रति मय नजरी नक्शा तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:51:22 IST
Reason: SelfAttested